

# मूल्यांकन दर सूची

वर्ष—2016—2017

उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ सदर मेरठ

प्रभावी दिनांक :- 01.08.2016

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

प्रारूप - 2 व 4


इस प्रारूप में प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की कृषक तथा अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की न्यूनतम दरें प्रति वर्गमीटर समस्त उप जिले के अधीन सम्पूर्ण नगरीय अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में की इंगित की जायेगी-?


क्रम सं०	मौहल्ले या राजस्व का नाम	श्रेणी, नगरीय, अर्धनगरीय या ग्रामीण	अकृषक भूमि की न्यूनतम दर			निर्मित वाणिज्यिक सम्पत्ति की दर/वर्ग मी०		राजस्व ग्रामों में कृषक भूमि की दरें प्रति हैक्टर
			9मी० से कम चौड़े रास्ते पर (बेसिक वैल्यू)	9 मी० से 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर	18 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर	निर्मित एकल दुकान में निहित भूमि की प्रति वर्ग मी० दर	कमर्शियल कॉम्प्लेक्स /मॉल में स्थित दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान की कारपेट एरिया की दरें	
1	2	3	4	5	7	8	9	
0134	अलवी नगर	नगरीय क्षेत्र	6500	7000	8100	31000	48000	
0227	अलीबाग कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5600	6600	28000	44000	
0232	अफफान गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	5600	6600	28000	44000	
1040	अजराडा	अर्धनगरीय क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	5200000
1053	अटौला	अर्धनगरीय क्षेत्र	1700	2000	2400	25000	33000	5200000
1041	अतराडा	अर्धनगरीय क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	5600000
1025	अजीजपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000
0156	आशियाना कालोनी	नगरीय क्षेत्र	9200	10300	12700	31000	48000	


उपनिबन्धक द्वितीय मेरठ  
 सहायक महानिरीक्षक निबन्धन मेरठ  
 अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) मेरठ  
 कलेक्टर/जिलाधिकारी मेरठ


कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

0080	आज़ाद मौहल्ला रोड/गोला कुआं (मेन रोड से हटकर अन्दर की ओर)नगरीय क्षेत्र नगरीय क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र	13000	14400	16800	41000	59000	
1042	आड	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	3500000
0283	और्विड ग्रीन	नगरीय क्षेत्र	10300	10800	12200	25000	41000	
0125	इत्तफाक नगर	नगरीय क्षेत्र	5400	5700	6900	28000	44000	
0059	इलाही बख्श	नगरीय क्षेत्र	13000	14400	16800	41000	59000	
0165	इस्लामाबाद दक्षिणी	नगरीय क्षेत्र	10300	12000	14000	41000	59000	
0079	इस्लामाबाद पुर्वी	नगरीय क्षेत्र	10300	12000	14000	41000	59000	
0168	इखलास नगर	नगरीय क्षेत्र	5400	6300	7300	28000	44000	
0092	इकबाल नगर	नगरीय क्षेत्र	6000	6500	7600	31000	48000	
1015	इटायरा	अर्धनगरीय क्षेत्र	2700	2800	3500	21000	36000	12000000
0012	ईस्माईल नगर	नगरीय क्षेत्र	15200	16800	19800	41000	59000	
0138	ईदगाह कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	
0148	उमर गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	
0109	उमर नगर	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	38000	56000	
1039	उलधन	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000
0285	उजाला गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	5600	6700	28000	44000	
0091	ए-वन कालोनी	नगरीय क्षेत्र	6000	6200	7100	31000	48000	
0145	एकता	नगरीय क्षेत्र	5400	8000	9400	28000	44000	

  
उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ


  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ


  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ


  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ


कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

	कालोनी							
0103	कानून गोयान	नगरीय क्षेत्र	19500	21600	25600	109000	138000	
0029	कागजी बाजार	नगरीय क्षेत्र	41000	43200	48900	109000	138000	
0108	किदवई नगर	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16300	41000	59000	
0067	कृष्ण पाडा	नगरीय क्षेत्र	12000	13000	15100	41000	59000	
0063	करम इलाही/कर म अली	नगरीय क्षेत्र	12000	13000	15100	41000	59000	
0035	कूचा नील	नगरीय क्षेत्र	56000	70200	82700	122000	152000	
0056	कच्ची सराय	नगरीय क्षेत्र	56000	70200	82700	122000	152000	
0130	कलुवा नगर	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	
0162	करीम नगर/ढवाई नगर	नगरीय क्षेत्र	9700	11100	13100	38000	56000	
01059	कूडी	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000
1048	कौल	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	3500000
1033	कुढला	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000
1028	कैली	अर्धनगरीय क्षेत्र	3800	3900	4400	21000	36000	14380000
0060	खिस्त पजान/चिश् त पजान	नगरीय क्षेत्र	10300	11900	14200	41000	59000	
0111	खन्दक	नगरीय क्षेत्र	16200	18400	21500	66000	89000	
0143	खुशहाल नगर	नगरीय क्षेत्र	5400	5700	6900	34000	51000	
1043	खडखडी	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	3500000
1044	खासपुर	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	3500000
1062	खरखौदा	अर्धनगरीय क्षेत्र	4800	5100	6000	28000	44000	14380000
1018	खन्दावली	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000
1020	खानपुर	अर्धनगरीय	2400	2600	3000	25000	41000	12000000

  
उपनिबन्धन द्वितीय  
मेरठ

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

		क्षेत्र						
1016	खेडा बलरामपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000
0117	गुर्जरी बाजार	नगरीय क्षेत्र	21600	24800	29100	73000	97000	
0137	गोल्डन ईदगाह कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	
0058	गली महेश्वरी वाली	नगरीय क्षेत्र	14000	15400	18100	41000	59000	
0094	गली कुम्हारान	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18000	41000	59000	
0002	ग्राम फतेहउल्लापुर	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	32190000
0006	ग्राम बुढेराजाहिदपुर	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	35120000
0001	ग्राम लिसाडी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	32190000
0054	गली ततईयो वाली	नगरीय क्षेत्र	14000	15400	18100	41000	59000	—
1060	गोविन्द पुर	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	3500000
0286	गोल्फ ग्रीन रेजिडेन्सी	नगरीय क्षेत्र	7800	8100	8500	28000	44000	
1057	गंधेडी	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000
1014	गगौल	अर्धनगरीय क्षेत्र	3300	3800	4200	25000	41000	13180000
0124	चमन कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	
0167	चौडा कुआ	नगरीय क्षेत्र	15000	16700	19200	51000	71000	
0066	चाहपौर/खारी कुआ	नगरीय क्षेत्र	10800	12200	14500	41000	59000	
1024	चन्दसारा	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000
0084	छोटा पजाया	नगरीय क्षेत्र	10800	12200	14500	41000	59000	
0115	छत्ता अनन्तराम	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000	

उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ


कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ


कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

0037	छत्ता अली रजा	नगरीय क्षेत्र	56100	62900	74800	105000	133000	
0105	छिपीवाडा	नगरीय क्षेत्र	13000	14300	16800	41000	59000	
1055	छत्तरी	ग्रामीण क्षेत्र	1700	1800	2000	18000	33000	3500000
0164	जैदी फार्म	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	44000	63000	
0203	जैदी नगर सोसायटी	नगरीय क्षेत्र	21600	23800	28200	57000	78000	
0089	जाकिर हुसैन कालोनी	नगरीय क्षेत्र	9700	11100	13100	38000	56000	
0061	जाटान/जाटान स्ट्रीट	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000	
0099	जत्तिवाडा	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000	
0016	जाहिदयान	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000	
0088	जमना नगर	नगरीय क्षेत्र	6100	6400	7500	31000	48000	
0213	जनकपुरी	नगरीय क्षेत्र	13000	14300	16800	41000	59000	
1061	जसौरी	ग्रामीण क्षेत्र	1700	1800	2000	18000	33000	2900000
1010	जसौरा	ग्रामीण क्षेत्र	1700	1800	2000	18000	33000	2900000
1010	जुरानपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	3300	3500	4100	25000	41000	19120000
1032	जलालपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2500	2900	25000	41000	12000000
0287	जामिया रेजिन्डेसी	नगरीय क्षेत्र	8100	8600	9800	41000	44000	
0031	ठठेरवाडा	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000	
0026	डालमपाडा	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000	
1030	ढिकौली	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2500	2900	25000	41000	14380000
0135	तारापुरी	नगरीय क्षेत्र	6800	7400	8700	34000	51000	
0121	तोपची वाडा	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000	
0119	तीरगरान	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000	
0136	तान्या गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	
1013	ततीना सानी	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2500	2900	25000	41000	17500000
0022	दरिया गंज	नगरीय क्षेत्र	13000	14300	16800	44000	63000	
0026	देवनगर/मिशनकम्पाउन्ड	नगरीय क्षेत्र	39900	49200	58500	89000	115000	
0069	दारूद गिरान	नगरीय क्षेत्र	13000	14300	16800	41000	59000	
0226	द्वारका स्टैट	नगरीय क्षेत्र	6500	7000	8100	28000	44000	

  
उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ


  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ


  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ


  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ


कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

1034	धीरखेडा	अर्धनगरीय क्षेत्र	4000	4100	4800	28000	44000	20860000
1019	धनौटा	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2500	2900	25000	41000	12000000
0107	नौगजा	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000	
0152	निशान्त गार्डन/निशात कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	
0116	नक्कार चिधान	नगरीय क्षेत्र	15200	16700	19800	44000	63000	
0086	नेता हकीमुददीन कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	
0150	न्यू इस्लाम नगर	नगरीय क्षेत्र	5400	6200	7300	28000	44000	
0039	न्यू मदीना कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	6200	6900	28000	44000	
0990	न्यू समर गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	6200	6900	28000	44000	
1064	नित्यानन्द पुर	ग्रामीण क्षेत्र	1700	1800	2000	18000	33000	3500000
1045	नालपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	3300	3500	4000	28000	44000	6730000
1004	नगला कबूलपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2500	2900	25000	41000	8800000
1029	नूर गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	5600	6600	28000	44000	
1017	नरहाडा	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2500	2900	25000	41000	17500000
0142	नंगला पातु	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2500	2900	25000	41000	12000000
0284	पहलवान नगर	नगरीय क्षेत्र	5400	5600	6800	28000	44000	
0077	पदमपुरा	नगरीय क्षेत्र	10800	12200	14500	38000	56000	
0169	पूर्वा फैयाज करीम	नगरीय क्षेत्र	12000	13000	15100	38000	56000	
0021	पूर्वा पीर	नगरीय क्षेत्र	12000	13000	15100	38000	56000	

  
उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ


  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ


  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ


  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ


कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

	बख्त							
0059	पूर्वा इलाही बख्त	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	38000	56000	
0017	प्रहलाद नगर/पूर्वी प्रहलाद नगर	नगरीय क्षेत्र	16200	18000	20700	57000	77000	
0018	पूर्वा अफजाल उल रहीम	नगरीय क्षेत्र	15000	16600	19400	51000	71000	
0075	पूर्वा निहाल सिंह	नगरीय क्षेत्र	15000	16600	19400	51000	71000	
0070	पडिया वालान (पडियान)	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0144	पीर कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000	
0009	पूर्वा अहिरान	नगरीय क्षेत्र	17000	19200	22600	57000	77000	
0104	प्रहलाद वाटिका	नगरीय क्षेत्र	17000	19200	22600	57000	77000	
0047	पूर्वा जाब्ले खों	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0127	पूर्वा फतेह नगर	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0128	पूर्वा अहमद नगर	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0129	पूर्वा हमिद हुसैन	नगरीय क्षेत्र	12000	13000	15100	34000	51000	
0005	पूर्वा एजाज अली	नगरीय क्षेत्र	12000	13000	15100	34000	51000	
0074	पूर्वा अब्दुल वाली	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0023	पटेल नगर उत्तरी/थापर नगर	नगरीय क्षेत्र	33000	36700	44000	73000	97000	
0024	पटेल नगर दक्षिणी	नगरीय क्षेत्र	33000	36700	44000	80000	104000	
0078	पिलोखडी मुहल्ला,	नगरीय क्षेत्र	8600	9700	11600	41000	59000	

  
उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ


  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ


  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ





कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

	मुख्य मार्ग से 30 मीटर अन्दर								
1037	पांथी	अर्धनगरीय क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	6600000	
1049	पाइदापुर	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000	
1007	पीपली खेडा	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000	
0288	पाम कान्ठटी	मेरठ	12000	12500	13500	28000	44000		
0147	फ्रैन्ड्स कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6600	28000	44000		
0133	फिरोजनगर	नगरीय क्षेत्र	8600	9700	11600	31000	48000		
0157	फखरुद्दीन अली अहमद नगर/अहम द नगर - मेन रोड से हटकर अन्दर की ओर	नगरीय क्षेत्र	8600	9700	11600	38000	56000		
0095	फूटा कुआं	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18100	41000	59000		
1056	फखरपुर कबटटा	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000	
1023	फफूडा	अर्धनगरीय क्षेत्र	3800	4100	4600	21000	36000	20860000	
0004	बगीचा मौहम्मद हुसैन	नगरीय क्षेत्र	10300	12000	14100	28000	44000		
0081	बुनकर नगर	नगरीय क्षेत्र	9600	10400	12300	31000	48000		
0020	बनी सराय	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000		
0102	बीरचाह/बी रू कुआं	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000		
0120	बाजार पेडामल	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000		
0032	बजाजा	नगरीय क्षेत्र	56000	66900	78400	109000	138000		
0013	बुढाना गेट	नगरीय क्षेत्र	51800	60200	71500	109000	138000		
1035	बधोली	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	3500000	

  
उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ


  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ


  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ


  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ


कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

1054	बरहानपुर	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000
1005	बढडा गिरधपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	9800000
1006	बिजौली	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	8800000
1011	बाजोट	अर्धनगरीय क्षेत्र	3800	4100	4600	25000	41000	19240000
0280	बाजोट खसरा न0 7	नगरीय क्षेत्र	5400	5600	6700	28000	44000	
0106	भाटवाडा	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
1021	भगवानपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000
0019	महमूद नगर	नगरीय क्षेत्र	10800	12100	14500	41000	59000	
0039	मदीना कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6700	28000	44000	
0131	मियाँ मौहम्मद नगर	नगरीय क्षेत्र	6500	7000	8200	31000	48000	
0093	मसूद नगर	नगरीय क्षेत्र	7600	8300	9900	31000	48000	
0110	मुकर्रब हुसैन / पूर्वा मुकर्रब हुसैन	नगरीय क्षेत्र	10800	12100	14500	41000	59000	
0062	महाजन पाडा / बनिय पाडा	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0072	महमूद उलहक रोड	नगरीय क्षेत्र	15000	16600	19700	44000	63000	
0064	मोरीपाडा	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0057	मनोहर मार्केट	नगरीय क्षेत्र	22600	23800	28200	54000	74000	
0036	मालवीय चौक / शीश महल	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0040	मुफ्तियान	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0163	मंजूर नगर	नगरीय क्षेत्र	12000	12900	15200	31000	48000	
0150	मजीद नगर	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6700	28000	44000	

  
उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ


  
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)  
मेरठ


  
कलेक्टर / जिलाधिकारी  
मेरठ


कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

0114	मुफ्तीवाडा	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0087	मोमीन नगर	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6700	28000	44000	
1036	मुडाली	अर्धनगरीय क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	4000000
1012	मौहम्मदपुर गूमी	अर्धनगरीय क्षेत्र	3300	3400	4100	28000	44000	19120000
0281	मेरठ रेजिडेन्सी	नगरीय क्षेत्र	7800	8100	8500	28000	44000	
0282	मिल्लत गार्डन	नगरीय क्षेत्र	10800	11300	12800	28000	44000	
1022	यूसुफाबाद	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000
0130	रशीद नगर	नगरीय क्षेत्र	7000	7700	9100	34000	51000	
0055	राजो की कुईया	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0289	रायजादगान	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0065	रामनगर	नगरीय क्षेत्र	15000	16700	19700	47000	66000	
0199	रसूलपुर धनतला	अर्धनगरीय क्षेत्र	1700	1700	2400	18000	33000	5600000
1050	रजपुरा	ग्रामीण क्षेत्र	1700	1900	2400	18000	33000	2800000
1051	रिहान गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	5800	6800	25000	41000	
0082	लौहार पुरा	नगरीय क्षेत्र	13000	14000	16600	41000	59000	
0034	लाला का बाजार	नगरीय क्षेत्र	48600	63200	74600	109000	138000	
0158	लक्ष्मीपुरा	नगरीय क्षेत्र	5400	5600	6800	28000	44000	
0160	लोहियानगर	नगरीय क्षेत्र	12200	13200	14200	47000	66000	
0053	लाला लाजपत राय मार्केट/ न्यू मार्केट	नगरीय क्षेत्र	39900	45900	54200	89000	115000	
0083	विकासपुरी/ आवास विकास	नगरीय क्षेत्र	21600	24300	28800	47000	66000	
0101	वेदवाडा	नगरीय क्षेत्र	12000	13100	15200	41000	59000	
0003	वैली बाजार	नगरीय क्षेत्र	33500	37300	43700	93000	11800	
0113	शाहनथन	नगरीय क्षेत्र	10800	12100	14500	41000	59000	
0149	श्याम नगर	नगरीय क्षेत्र	9200	10300	12200	34000	52000	

  
उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

0146	शाहीमार गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6700	31000	48000	
0132	शकूर नगर	नगरीय क्षेत्र	8600	9500	11300	41000	59000	
0071	शाहघासा	नगरीय क्षेत्र	13000	14100	16600	41000	59000	
0151	शाहजहाँ नगर कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6700	28000	44000	
0126	शौकत कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6700	41000	59000	
0100	शाह खाकी	नगरीय क्षेत्र	13000	14100	16600	38000	56000	
0008	शाहपीर गेट	नगरीय क्षेत्र	13000	14100	16600	41000	59000	
0014	शाहपीर जदीद	नगरीय क्षेत्र	13000	14100	16600	41000	59000	
0045	शाहपीर वहीद	नगरीय क्षेत्र	13000	14100	16600	41000	59000	
1063	शिकार पूर	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000
1009	शाकरपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	3800	4000	4600	21000	36000	20860000
1027	शौलाना	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000
0030	सराफा	नगरीय क्षेत्र	51800	63200	74800	105000	134000	
0118	साबुन गरान	नगरीय क्षेत्र	10800	12100	14500	41000	59000	
0241	सुहेल गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6700	41000	59000	
0122	सुभाष बाजार	नगरीय क्षेत्र	30200	34600	40800	73000	97000	
0076	सददीक नगर	नगरीय क्षेत्र	9200	10500	12200	34000	51000	
0073	सराय बहलीम	नगरीय क्षेत्र	13000	14100	16600	41000	59000	
0223	स्टैट बैंक कालोनी (हापुड रोड)	नगरीय क्षेत्र	13000	13300	15100	41000	59000	
0068	सराय जीना	नगरीय क्षेत्र	13000	14100	16600	41000	59000	
0096	स्वामी पाडा	नगरीय क्षेत्र	19500	21000	25700	70000	92000	
0140	समर कालोनी	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6700	28000	44000	
0161	समर गार्डन	नगरीय क्षेत्र	5400	5500	6700	28000	44000	
0027	सराय	नगरीय क्षेत्र	13000	15300	18000	38000	56000	

उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ


कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ


कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

	लालदास							
0015	सराय शाहपीर	नगरीय क्षेत्र	12000	13000	15200	41000	59000	
0003	सराय मुषितयान	नगरीय क्षेत्र	12000	13000	15200	41000	59000	
0025	सोतीगंज	नगरीय क्षेत्र	46500	56400	66900	79000	104000	
0224	स्मिथ गंज	नगरीय क्षेत्र	39900	45900	54200	63000	85000	
0240	स्पाईस होम कालोनी/ ग्रहम	नगरीय क्षेत्र	7800	8300	8900	28000	44000	
1038	सफियाबाद लोटी	अर्धनगरीय क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	5600000
1047	सादुल्लपुर उर्फ चन्दपुरा	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000
1052	सेतकुआं	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000
1046	सादुल्ला पुर	ग्रामीण क्षेत्र	1700	2000	2400	18000	33000	2900000
103	सलेमपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	1750000
1026	समयपुर	अर्धनगरीय क्षेत्र	2400	2600	3000	25000	41000	12000000
0068	होली मोहल्ला	नगरीय क्षेत्र	14000	15300	18000	41000	59000	
0090	हुमायु नगर	नगरीय क्षेत्र	6500	7100	8500	31000	48000	

  
उपनिबन्धक द्वितीय  
मेरठ

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

प्रारूप - 3

नगरीय एवं अर्धनगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मौहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये की न्यून प्रति वर्गमीटर रुपये

क- उप जिला सदर द्वितीय मेरठ जिला मेरठ के अधीन नगरीय क्षेत्र मेरठ पर मुख्य मार्गों पर अकृषक भूमि तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की न्यूनतम दर प्रति वर्ग मीटर						
क्रम संख्या एवं रोड सेगमेंट का नाम कहाँ से कहाँ तक	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	वी- कोड	अकृषक भूमि की वर्तमान दरें	निर्मित वाणिज्यिक सम्पत्ति की दर/वर्ग मी०		
				निर्मित एकल दुकान में निहित भूमि की प्रति वर्ग मी० दर	कामर्शियल कॉम्प्लेक्स/मॉल में स्थित दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान की कारपेट एरिया की दरें	
1	2	3	5	6	7	
अर्धनगरीय क्षेत्र जो मूल्यांकन सूची में अंकित नहीं है	-	0233	2400	24000	39000	
आजाद रोड दोनों ओर	पूर्वी इस्लामाबाद (वार्ड में) :- पूर्वी इस्लामाबाद, सुलेखचन्द की बगीचा	0170	21000	60000	80000	
इन्द्रा चौक चौराहे से बुढाना गेट पुलिस चौकी चौराहे तक दोनों ओर	शाहपीर गेट (वार्ड में) :- पूर्वा अहिरान, पूर्वा जदीद	0010	43000	90000	104000	
ईवज चौराहे से कलकत्ता स्वीट होते हुए बुढाना गेट, गोकुल स्वीट तक दोनों ओर	शाहपीर गेट (वार्ड में):- द० पूर्वा अहिरान (स्वामीपाडा),	0189	43000	87000	120000	

उप निबन्धक द्वितीय मेरठ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन मेरठ

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) मेरठ

कलेक्टर/जिलाधिकारी मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

		प्रहलाद वाटिका, उ० पुर्वा अहिरान				
कोतवाली थाने से लिसाडी गेट चौराहे तक		प्रहलाद नगर (वार्ड में) :- तोपचीडा, मुफतीवाडा, जाट्रान स्ट्रीट, बनी सराय	0216	40000	75000	98000
खरखौदा मेरठ हापुड रोड मुख्य सडक पर		बुढेरा जाहिदपुर (वार्ड में):- लोहिया नगर, बुढेराजाहिदपुर, शाकरपुर, बिजौली, फफूडा, खरखौदा, नालपुर, कैली, धीरखेडा, सलेमपुर, घोसीपुर, अल्लीपुर जिजमाना	0043	8500	36000	53000
गुरुद्वारा रोड सोतीगंज (खूनी पुल से प्लाजा सिनेमा तक)		थापर नगर (वार्ड में) :- देवनगर, थापर नगर, द० सोतीगंज	0193	54000	105000	132000
जली कोठी से छतरी वाले पीर से होकर खैर नगर चौराहे तक सडक के दोनों ओर		थापर नगर (वार्ड में) :- पुर्वा अहमद नगर, पटेल नगर	0218	38000	63000	84000
जीमखाना मैदान की बराबर वाली सडक परसे फिल्मीस्तान वाली सडक पर		शाहपीर गेट (वार्ड में) :- प्रहलाद नगर	0012	38000	72000	94000

उप निबन्धक द्वितीय  
मेरठ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

2

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

दिल्ली रोड (बेगम ब्रिज से जली कोठी तक)	थापर नगर (वार्ड में):- बर्फ खाना उत्तरी सोतीगंज, द0 सोतीगंज, थापर नगर	0171	57000	96000	122000
पिलोखडी रोड लिसाडी गैट चौराहे से हापुड रोड तक सडक के दोनो ओर।	सददीक नगर (वार्ड में):- विकासपुरी, बुनकर नगर, किदवई नगर, उमर नगर, जनकपुरी	0185	27000	60000	70000
पिलोखडी पुल से पिलोखडी जाने वाली सडक पर 3 कि0मी0 तक मेन रोड के दोनो ओर	सददीक नगर (वार्ड में):- श्याम नगर, मजीद नगर, शालीमार गार्डन, तारापुरी, इत्तेफाक नगर, खुशहाल नगर, समर कालोनी	0209	24000	60000	70000
पिलोखडी रोड 3 किमी0 से आगे क्षेत्राधिकार तक	सददीक नगर (वार्ड में):- समर कालोनी, चमन कालोनी, ईदगाह कालोनी, गोल्डन ईदगाह	0181	18000	39000	56000
फतेहउल्लापुर रोड कॉच के पुल से 2 कि0मी0 तक मेन रोड के दोनो ओर	फखरुददीन अली अहमद पूवी(वार्ड में) :- फखरुददीन अली अहमद नगर, आशियाना कालोनी, लक्खीपुरा, जाकिर कालोनी, अलीबाग	0154	28000	54000	73000

उप निबन्धक द्वितीय मेरठ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन मेरठ

3

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मेरठ

कलेक्टर/जिलाधिकारी मेरठ



कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

		कालोनी				
फतेहउल्लापुर से 2 कि०मी० तक	रोड कांच के पुल से आगे 3 कि०मी० तक	फखरुददीन अली अहमद पूर्वी (वार्ड में) :- समर गार्डन, मोमीन नगर	0173	20000	48000	66000
बुढाना गेट बाजार तक	चौराहे से सुभाष बाजार होते हुए कोतवाली थाने के दोनो ओर	शाहपीर गेट (वार्ड में) :- सुभाष बाजार, स्वामीपाडा, बीरुकुआ, भाटवाडा, खन्दक, इस्माईल नगर	0215	45000	90000	105000
बुढाना गेट से जत्तीवाडा तिराहे तक	पु० चौकी के पीछे	स्वामीपाडा (वार्ड में) :- स्वामीपाडा, जत्तीवाडा	0098	43000	87000	120000
बच्चा पार्क तिराहे से कलकत्ता स्वीट तक	दोनो ओर	शाहपीर गेट (वार्ड में) :- उ० पुर्वा अहिरान	0011	43000	87000	120000
बुढाना गेट, बराबर से खैर नगर चौराहे तक	गोकुल स्वीट के	स्वामी पाडा (वार्ड में) :- स्वामीपाडा, प्रहलाद वाटिका	0097	43000	87000	120000
बच्चा पार्क चौराहे से खैर नगर चौराहे तक		शाहपीर गेट (वार्ड में) :- पटेल नगर, पुर्वा अहमद नगर, प्रहलाद वाटिका	0220	38000	72000	94000
बाईपास हापुड रोड से रेलवे लाईन तक	सडक के दोनों ओर 20 मी० गहराई तक	बुढेरा जाहिदपुर (वार्ड में) :- बुढेरा जाहिदपुर, बाजोट, जुरानपुर	0221	6500	30000	46000

उप निबन्धक द्वितीय  
मेरठ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

4

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

बाईपास रेलवे लाईन से आगे तक	बुढेरा जाहिदपुर (वार्ड में):- जुरानपुर, बाजोट, लिसाडी	0222	7000	30000	46000
बम्बा रोड कार्यालय के क्षेत्राधिकार तकदोनों ओर	लिसाडी (वार्ड में):- मदीना कालोनी, उमर नगर, शानदार कालोनी	0228	11000	39000	56000
मेरठ हापुड रोड मुख्य सडक पर अन्य नगरीय व अर्धनगरीय क्षेत्र में	मेरठ (वार्ड ) :-	0234	8600	36000	52000
मेरठ हापुड से हटकर (अन्य नगरीय व अर्धनगरी क्षेत्र में)	मेरठ (वार्ड)	0235	5400	24000	39000
लिसाडी गैट चौराहे से भूमिया के पुल तक दोनों ओर	प्रहलाद नगर (वार्ड में):- पुर्वा मुकर्रब हुसैन, पदमपुरा	0214	40000	48000	67000
लिसाडी गैट चौराहे से पूर्वा इलाही बख्शा होते हुए खत्ता रोड तक सडक के दोनों ओर	प्रहलाद नगर (वार्ड में):- पुर्वा मुकर्रब हुसैन, पुर्वा इलाही बख्शा, जाटव गेट	0217	35000	72000	94000
लिसाडी रोड भूमिया के पुल से नूर नगर पुलिया (बम्बा रोड) तक दोनों ओर	तारापुरी (वार्ड में):- उचा सददीक नगर, फिरोज नगर, रशीद नगर, तारापुरी, शकूर नगर, खुशहाल नगर, ईदगाह कालोनी	0141	25000	54000	73000
लिसाडी रोड (नूर नगर पुलिया से लिसाडी ग्राम होते हुए) कार्यालय के क्षेत्राधिकार तक सडक के दोनों ओर 30 मी0 गहराई तक	तारापुरी (वार्ड में):- मदीना कालोनी, न्यू मदीना कालोनी, ग्राम लिसाडी	0183	15000	39000	56000

उप निबन्धक द्वितीय  
मेरठ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

5

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

लाला के बाजार चौराहे से वैली बाजार होते हुए कबाडी बाजार चौराहे तक	सराय लालदास (वार्ड में):- कागजी बाजार, होली मौहल्ला	0233	50000	105000	132000
लाला का बाजार तिराहे से बजाजा चौराहे तक	सराय लालदास	0236	50000	90000	104000
सोतीगंज (हापुड रोड यूको बैंक चौराहे से दिल्ली रोड तक)	थापर नगर (वार्ड में):- द0 सोतीगंज, उत्तरी सोतीगंज	0236	54000	105000	132000
हापुड रोड (पुल्ल बेगम से बच्चा पार्क तक)	थापर नगर (वार्ड में):- बर्फ खाना, लाला राजपतराय, जाकिर हुसैन कालोनी, उत्तरी सोतीगंज, द0 सोतीगंज, देवनगर, मिशन कम्पाउण्ड	0194	56000	105000	132000
हापुड रोड (बच्चा पार्क चौराहे से ईव्ज चौराहे तक)	शाहपीर गेट (वार्ड में):- उत्तरी पुर्वा अहिरान	0046	55000	84000	108000
हापुड रोड (ईव्ज चौराहे से गुलमर्ग चौराहे तक)	शाहपीर गेट (वार्ड में):- पुर्वा अहिरान, पुर्वा जदीद	0044	55000	84000	108000
हापुड रोड (गुलमर्ग चौराहे से हापुड स्टैण्ड चौराहे तक)	शाहपीर गेट (वार्ड में):- पुर्वा जदीद, पुर्वा अब्दुल वाली, बागीचा मौहम्मद	0048	55000	84000	108000

उप निबन्धक द्वितीय  
मेरठ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

6

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)  
मेरठ

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

		हुसैन, मुफ्तीयान, इमलियान				
हापुड रोड शास्त्री नगर	(हापुड स्टैण्ड से तिराहे तक) दोनों ओर	जमना नगर (वार्ड में):- रामनगर, सुलेखचन्द की वाटिका, रहमतपुरा, इस्लामाबाद, स्टेट बैंक कालोनी, किदवई नगर, उमर नगर, जाकिर कालोनी	0085	43000	75000	98000
हापुड रोड	(शास्त्री नगर तिराहे से 3 कि०मी० तक) दोनों ओर	बुढेरा जाहिदपुर (वार्ड में):- लोहिया नगर, जमना नगर	0041	27000	72000	94000
हापुड रोड	(शास्त्री नगर तिराहे से 3 कि०मी० से आगे नगर निगम की सीमा तक) दोनों ओर	बुढेरा जाहिदपुर (वार्ड)	0042	23000	60000	70000
हापुड स्टैण्ड	चौराहे से लिसाडी गेट चौराहे तक मेन रोड के दोनों ओर	पूर्वी इस्लामाबाद (वार्ड में):- रामनगर, पूर्वा पीर बख्श, आजाद नगर, द० इस्लामाबाद, प्रहलाद नगर, दरिया गंज	0180	45000	63000	84000
हापुड रोड से पूर्वा अफजालउर्रहीम होते हुए सोहराब गेट तक एवं उनके बीच पतली गलियों में स्थित मार्किट (भगत सिंह मार्किट)		पूर्वी इस्लामाबाद (वार्ड में):- भगत सिंह मार्किट, पूर्वा पीर बख्श, पूर्वा अफजालउर्रहीम	0237	26000	63000	84000

उप निबन्धक द्वितीय  
मेरठ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

7

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

हापुड रोड मुख्य सडक पर (नगर निगम एवं विकास प्रधिकरण के बहार पडने वाले क्षेत्र )	पूर्वी इस्लामाबाद (वार्ड)	0238	6500	30000	46000
हापुड रोड से पुर्वा अब्दुलवाली होते हुए सोहराब गेट तक एवं उनके बीच पतली गलियों में स्थित मार्किट (भगत सिंह मार्किट	पूर्वी इस्लामाबाद (वार्ड):- भगत सिंह मार्किट, पुर्वा अब्दुल वाली	0239	26000	63000	84000
कोतावली से गुजरी बाजार चौशहे तक (मुपित्तवाड, इस्लामुददीन, नक्कारचियान-गुजरी बाजार)	इस्माइल नगर (वार्ड)	0339	42000	75000	98000
गोला कुआ से कांच के पुल तक (पु0 इस्लामाबाद, द0 इस्लामाबाद, किदवाई नगर, बुनकर नगर )	पूर्वी इस्लामाबाद (वार्ड)	0340	38000	42000	60000
टंकी के पास शकूर नगर से मिया मौहम्मद नगर होते हुये तारापुरी तक	शकूर नगर (वार्ड में):- शकूर नगर, तारापुरी, रशीद नगर	0341	13000	33000	49000
तिरगा गेट भवानी नगर से होते हुये जैदीफार्म तिराहे से जैदी नगर सोसायटी (गुरुद्वारे तक दोनो ओर) तक।	मन्जूर नगर (वार्ड में):- भवानी नगर, जैदी फार्म, जैदी सोसाईटी, रामबाग कालोनी	0342	16000	42000	60000

उप निबन्धक द्वितीय  
मेरठ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

8

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)  
मेरठ

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17

पुर्वा मुकर्रब भूमिया के पुल हुसेन चौराहे से तक पुर्वा मुकर्रब हुसेन पुर्वा इलाही बख्श ।	इस्माईल नगर (वार्ड में):- पुर्वा मुकर्रब हुसेन, पुर्वा इलाही बख्श	0343	24000	57000	77000
धर्म पैलेस	खुनी पुल (नया सेगमेन्ट)	0344	-	-	135000
सिटी सेन्टर	बच्चा पार्क (नया सेगमेन्ट)	0345	-	-	135000
ओम प्लाजा	बेगम पुल से बच्चा पार्क	0346	-	-	135000
सूर्य प्लाजा	हापुड अड्डा (नया सेगमेन्ट)	0347	-	-	110000
एच0एम0टी प्लाजा	द0 इस्लामाबाद- गोला कुआ (नया सेगमेन्ट)	0348	-	-	85000
अग्रवाल प्लाजा/कम्पलैक्स	बुढाना गेट गोकुल स्वीट्स से खैर नगर चौराहे तक	0349	-	-	120000
सत्यम् प्लाजा/निगार सिनेमा	बुढाना गेट गोकुल स्वीट्स से खैर नगर चौराहे तक	0350	-	-	120000
उज्जवल कम्पलैक्स	रामनगर नियर पुर्वा अफजालउर्रहीम	0351	-	-	66000

उप निबन्धक द्वितीय मेरठ

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन मेरठ


9


अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मेरठ


कलेक्टर/जिलाधिकारी मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मेरठ, मूल्यांकन सूची वर्ष 2016-17


कलिगां होटल/काम्पलैक्स	गुरुद्वारा रोड	0352	-	-	132000
------------------------	----------------	------	---	---	--------




  
उप निबन्धक द्वितीय  
मेरठ

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ

10


  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ


## सामान्य निर्देश - 2016


### 01) प्रकीर्ण सम्पत्ति


01. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्टाम्प प्रभार्यता की गणना की जानी है, में न्यूनतम मूल्य की गणना इस सूची के किस भाग के किस पृष्ठ के किस क्रमांक व कालम के अनुसार की गयी है, का उल्लेख करना अनिवार्य है। यह सूचना स्टाम्प प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।
02. विलेख में अंकित सम्पत्ति की चौहद्दी में यदि कोई मार्ग है तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।
03. विलेख में अंकित सम्पत्ति, जिसका निकास किसी सड़क पर हो, के न्यूनतम मूल्य की गणना उस सड़क पर स्थित सम्पत्ति की सुसंगत दर के अनुसार ही किया जायेगा।
04. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है, के साथ, उस सम्पत्ति पर पहुँचने का मार्गदर्शक मानचित्र (नक्शा नजरी), तथा सम्पत्ति पर निर्माण होने की दशा में, निर्माण का पूर्ण मानचित्र, जिसमें निर्मित क्षेत्र, विलेख के पक्षकारों के नाम, पिता/पति का नाम, मकान नम्बर, गली मौहल्ला व डाक का पूरा पता तथा मानचित्र को ड्राफ्ट करने वाले का नाम पता व यथासम्भव मोबाईल नं० अंकित करना होगा। यदि प्रश्नगत सम्पत्ति का पूर्व कोई इकरारनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूर्व विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
05. जिन क्षेत्रों में किसी अधिनियम के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है उसके सम्बन्ध में विलेख में यह तथ्य लिखना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत है अथवा बाहर है।
06. यदि किसी भवन में आंशिक रूप से वाणिज्यिक गतिविधियाँ हैं और शेष में आवासीय गतिविधियाँ हैं, तो वाणिज्यिक भाग का वाणिज्यिक दर के अनुसार तथा शेष सम्पत्ति का गैर-वाणिज्यिक दर के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।
07. जनपद के विभिन्न मार्गों (राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग) पर पड़ने वाले गाटा नम्बरान की, सम्बन्धित तहसील से प्राप्त सूची, उप-निबन्धक के कार्य-क्षेत्र अनुसार दर-सूची में संलग्न है। किसी खसरा नम्बर के सम्बन्ध में लिपिकीय त्रुटि होने पर साक्ष्य के आधार पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी


  
S.R.F.

उप निबन्धक,  
मेरठ।

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

  
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।

  
S.M.



(तहसीलदार) के द्वारा निस्तारण किया जाएगा। उक्त सूची संपूर्ण नहीं है, मौके पर सड़क पर नंबर होने पर तदनुसार मूल्यांकन होगा।

08. निर्धारित दरें न्यूनतम हैं। न्यूनतम निर्धारित दर/अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर घोषित दर/अर्द्ध-सरकारी, निजी कम्पनियों, संस्थाओं, फर्मों, कम्पनियों, डैवेलपर्स, कौलोनाइजर्स, बिल्डर्स आदि द्वारा निर्धारित/घोषित दरों अथवा वास्तविक बाजारी मूल्य में जो भी अधिक होगा, उस अधिकतम दर पर मूल्यांकन करते हुए, स्टाम्प शुल्क देय होगा।

09. जनपद में स्थित ओवर ब्रिजों/पुलों के नीचे आने वाली समस्त प्रकार की सम्पत्तियों के कुल मूल्यांकन में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट सम्बन्धित ओवर ब्रिज/पुल के प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने के मध्य स्थित सम्पत्तियों पर ही लागू होगी।

10. यदि किसी क्षेत्र/मौहल्ले/कस्बे का दर सूची में रेट त्रुटिवश छूट गया है तो उसका मूल्यांकन पुरानी चारों तरफ स्थित सटी सम्पत्तियों में से अधिकतम मूल्यांकन वाली दर से किया जायेगा।

11. उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, मेरठ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या अन्य किसी अर्द्ध-सरकारी संस्था द्वारा विकसित सम्पत्तियों की स्वयं की दर, यदि किसी भी समय, कलेक्टर द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक हो जाती है, तो सहायक आयुक्त स्टाम्प, मेरठ से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त, दोनों दरों में से अधिक दर पर मूल्यांकन किया जाएगा।

## 02) कृषि भूमि

12. कृषक भूमि के अन्तरण विलेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधिक खसरे व खतौनी या किसान बही के सुसंगत अंश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. सड़कों के किनारे स्थित तथा आबादी के निकट व अकृषक घोषित किये गये गाटा नम्बरानों की सूची इस रेट लिस्ट का भाग है तथा प्रत्येक तहसीलदार के द्वारा समय-समय पर इस सूची की अद्यावधिक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित उप-निबन्धक को उपलब्ध करायी जाये जाे इस रेट लिस्ट का भाग होगा।

14. मिट्टी निकासी हेतु मिट्टी की बिक्री की दर 50 रु० प्रति घनमीटर निर्धारित की जाती है।

15. अन्तरित सम्पत्ति में नलकूप/टयूवेल होने पर उसका मूल्य अलग से आंकलित किया जायेगा टयूवेल का मूल्य 70,000 प्रति बोरवेल होगा तथा कुआँ का मूल्य प्रति कच्ची बोरिंग 15,000 तथा नल/हैण्डपम्प का मूल्य प्रति नल/हैण्डपम्प 10,000 होगा।

16. अन्तरित सम्पत्ति में फलदार या बिना फलदार के वृक्ष होने के दशा में प्रति वृक्ष उनकी उम्र के अनुसार उनका मूल्य निम्नवत् होगा :

उप निबन्धक,  
मेरठ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।


कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।


क्रम सं०	वृक्षों की श्रेणी/प्रकार	10 वर्ष से कम आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष	10 से अधिक किन्तु 20 वर्ष तक वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष	20 वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष
1.	<b>इमारती लकड़ी</b>			
(क)	सागौन	3,500	14,000	22,000
(ख)	शीशम	3,500	11,000	20,000
(ग)	साखू, शाल	3,000	8,500	18,000
2.	<b>फलदार वृक्ष</b>			
(क)	आम कलमी, देशी	3,500	7,500	12,500
(ख)	अमरुदहतपल	2,500	4,500	7,000
(ग)	कटहल	2,500	4,000	9,000
(घ)	जामुन	3,100	6,000	11,000
3.	<b>अन्य</b>			
(क)	यूक्लिप्टस	2,500	4,000	6,500
(ख)	पापुलर, बकैन, पापडी	2,500	4,000	6,500
(ग)	सहतूत, सेमल, खैर	1,200	1,500	2,100
(घ)	नीम	2,100	4,000	8,500
(ङ)	गूलर, बबूल व अन्य वृक्ष	2,000	4,000	6,500


17. नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत अन्तरित कृषि भूमि का खसरा नम्बर यदि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग पर होगा तो 50 प्रतिशत व जनपदीय मार्ग पर होगा तो 30 प्रतिशत और यदि लिंक मार्ग पर होगा तो 20 प्रतिशत की निर्धारित दरों में वृद्धि की जाएगी तथा कृषि भूमि वो ही मानी जाएगी जो राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज हो और मौके पर भी कृषि प्रयोग में हो। लिंक मार्ग का तात्पर्य ऐसे मार्ग से है जो एक ग्राम को दूसरे ग्राम से अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हों। ऐसे मार्ग पक्का खड़न्जा अथवा कच्चा मार्ग हो सकता है। जिसमें चकमार्ग शामिल नहीं है।


राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग :

(i) मेरठ-दिल्ली मार्ग (NH-58), (ii) मेरठ-रूड़की मार्ग, (iii) मेरठ-मवाना-बिजनौर मार्ग (NH-119), (iv) मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर मार्ग (NH-235), (v) मेरठ-सरधना-करनाल मार्ग (NH-709A), (vi)

  
उप निबन्धक,  
मेरठ।

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

  
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।



गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत मार्ग (NH-334B), (vii) बिजली बम्बा-लिसाड़ी-जुरानपुर-हापुड़ रोड बाईपास मार्ग, (viii) दिल्ली-मेरठ-रूडकी बाईपास मार्ग, (ix) गढ़मुक्तेश्वर-किठौर-मेरठ (UPSH-14)।


18. कृषि भूमि के किसी क्रय-विक्रय में यदि किसी खसरा नम्बर में परती/भट्टा/खुदान/बंजर दर्ज है तथा शेष भाग में कृषि भूमि दर्ज है तो उस खसरा नम्बर का मूल्यांकन तत्स्थान हेतु भूमि के लिए निर्धारित कृषि दरों पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर, मूल्यांकन किया जायेगा।


19.(अ) नगरीय क्षेत्र के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्राम तथा अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकासशील ग्राम जिनकी सूची नीचे दी गयी है, की ऐसी कृषि भूमि, जिनके खसरा नम्बर में आंशिक आबादी दर्ज है, की जो दरें सम्बन्धित सूचियों में निर्धारित की गयी हैं वे 0.20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के अन्तरण हेतु निर्धारित हैं। 0.20 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्रफल के अन्तरण से सम्बन्धित विलेख में न्यूनतम मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी।


श्रेणी	क्षेत्रफल	न्यूनतम मूल्य
1	0.05 हेक्टेयर तक	इस सूची के भाग-2 के प्रारूप-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर, से निकाला गया न्यूनतम मूल्य।
2	0.05 है० से अधिक परन्तु 0.10 है० तक	0.05 है० तक उपरोक्त श्रेणी-1 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि का इस सूची के भाग-2 के प्रारूप-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर के 75 प्रतिशत से निकाले गये मूल्य का योग।
3	0.1 है० से अधिक परन्तु 0.2 है तक	0.1 हैक्टेयर तक का उपरोक्त श्रेणी-2 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि का इस सूची के भाग-2 के प्रारूप-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर के 40 प्रतिशत से निकाले गये मूल्य का योग।

- नोट :- 1. उपरोक्तानुसार किया गया मूल्यांकन सम्बन्धित क्षेत्र की निर्धारित कृषि दर से किये गये मूल्यांकन से कदापि कम नहीं होगा।
2. एक से अधिक क्रेता होने की स्थिति में, मात्र इस प्रतिबन्ध के लिए, यदि लेखपत्र में क्रेतागण के हिस्से अलग-अलग उल्लिखित नहीं किए गए हैं, तो प्रत्येक क्रेता का समान हिस्सा मानते हुए, उस क्षेत्र के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित दर से मूल्यांकन कर के, स्टाम्प शुल्क देय होगा। परन्तु एक लेखपत्र में एक ही परिवार के पति-पत्नी तथा सगे भाईयों/बहनों के पक्ष में अन्तरण होने पर या विक्रीत भूमि में क्रेतागण के सम्पत्ति के मेड़-मिलान होने पर उपरोक्त शर्त प्रभावी नहीं होगी। मेड़-मिलान के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

  
उप निबन्धक,  
मेरठ।  


  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

  
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।

सूची विकासशील राजस्व ग्राम :

(i). कार्यालय उप निबन्धक, मेरठ-प्रथम :

1. कमालपुर (नगर निगम के बाहर का क्षेत्र)
2. दतावली गेसूपुर (नगर निगम के बाहर का क्षेत्र)
3. हसनपुर कदीम
4. मुरलीपुर फूल
5. अम्हैडा आदिपुर
6. रजपुरा
7. मामेपुर/मामीपुर
8. महीउददीनपुर ललसाना
9. सिखैडा
10. मुजफ्फरनगर सैनी
11. सलारपुर जलालपुर
12. राती चौहान
13. नंगलामल
14. इंचौली
15. मसूरी
16. उल्देपुर।

(ii). कार्यालय उप निबन्धक, मेरठ-द्वितीय :

नगरीय एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्र के समस्त ग्राम।

ग्रामीण क्षेत्रों की सूची निम्नवत् है :

1. अटौला
2. अजराड़ा
3. अतराड़ा
4. शफियाबाद लौटी
5. मुण्डाली
6. नालपुर
7. रसूलपुर धन्तला
8. पांची

(iii). कार्यालय उप निबन्धक, मेरठ-तृतीय :

अर्द्धनगरीय क्षेत्र के समस्त ग्राम।

ग्रामीण क्षेत्रों की सूची निम्नवत् है :

1. काजमाबाद गून
2. कुराली
3. जानी बुजुर्ग
4. ढिलौरा उर्फ डालूहेडा
5. नेक
6. फैजाबाद-पंचगांव
7. बहरामपुर मोरना
8. रसूलपुर धौलड़ी

(iv). कार्यालय उप निबन्धक, मेरठ-चतुर्थ :

1. अरनावली
2. आजमपुर
3. बोहला
4. दिलावरा
5. ईदरीशपुर
6. गोविन्दपुर उर्फ घसौली
7. जंगेठी
8. जांजोखर
9. पेपला
10. शेखपुरी
11. सिंघावली
12. शाहपुर जैनपुर
13. रसूलपुर रोहटा

(v). कार्यालय उप निबन्धक, सरधना :

1. सरधना अन्दर/बाहर हदूद नगर पालिका
2. दौराला नगर पंचायत
3. लावड़ नगर पंचायत

(अन्दर)

4. करनावल अन्दर नगर पंचायत
5. जेवरी
6. पावली खास
7. पावली खुर्द
8. मटौर
9. सकौती
10. सिवाया जमाउल्लापुर
11. दुल्हेडा चौहान
12. मौहम्मदपुर हायक

(vi). कार्यालय उप निबन्धक, मवाना :

21/8/16  
SR-III

उप निबन्धक, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

SR-III

मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

A

28/7/16  
कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।

1. मवाना (अन्दर सीमा व बाहर सीमा) 2. किठौर (अन्दर सीमा व बाहर सीमा) 3. परिक्षतगढ (अन्दर सीमा व बाहर सीमा) 4. फलावदा (अन्दर सीमा व बाहर सीमा) 5. बहसूमा (अन्दर सीमा व बाहर सीमा) 6. हस्तिनापुर (अन्दर सीमा व बाहर सीमा)

(ब) क्रमांक 19-अ में सूचीबद्ध ग्रामों से भिन्न ग्रामों की ऐसी कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर में आंशिक आबादी दर्ज हो, का मूल्यांकन उस स्थान हेतु निर्धारित कृषि दर के 50 प्रतिशत अधिक पर किया जायेगा।

(स) क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त राजस्व ग्रामों की कृषि भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि विद्यमान होने पर मूल्यांकन में उस क्षेत्र हेतु निर्धारित कृषि दर में 30 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

### 03) गैर कृषक (आवासीय भूमि)

20. सेगमेन्ट पर स्थित भूखण्ड को छोड़कर जिस आवासीय भूखण्ड के सामने पार्क हो तो उसके न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात् 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। जिस आवासीय भूखण्ड की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हो, ऐसे भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्यदर वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर से करने के पश्चात् 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों परिस्थितियां विद्यमान हो तो ऐसे आवासीय भूखण्ड के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात् 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी। निर्मित सम्पत्ति की स्थिति में वृद्धि मात्र भूमि की दर में ही होगी।

21. (अ) गैर वाणिज्यिक बहुमंजिले भवन (तीन मंजिला तक) के पृथक्-पृथक् अन्तरित होने की स्थिति में सम्बन्धित तलों का मूल्यांकन अन्तरित सम्पत्ति में सुपर ऐरिया के स्वाभाविक समावेश के कारण निर्धारित दरों में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए किया जाएगा।

21. (ब) यदि एक लेखपत्र में गैर वाणिज्यिक बहुमंजिले भवन (तीन मंजिल) तक कुल तलों/संपत्ति का क्रेता एक ही व्यक्ति है तो कुल संपत्ति में निहित भूमि का मूल्य समस्त तलों के लिये एक ही बार कुल मूल्यांकन हेतु जोड़ा जायेगा।

21. (स) गैर वाणिज्यिक बहुमंजिले भवन (3 मंजिल तक) का पृथक्-पृथक् अन्तरण होने की दशा में भूमि/छत की दर न्यूनतम निर्धारित दर का, भूतल हेतु 90 प्रतिशत, प्रथम तल हेतु 70 प्रतिशत, द्वितीय तल व बेसमेन्ट हेतु 60 प्रतिशत तथा तृतीय एवं अन्य तलों हेतु 55 प्रतिशत पर मूल्यांकन करते हुए स्टाम्प शुल्क देय होगा।

22. शैक्षणिक संस्थान के विक्रय होने की दशा में निहित भूमि का मूल्यांकन तत्स्थान हेतु निर्धारित अकृषिक दर पर किया जायेगा।

23. यदि कोई भूखण्ड/भवन एक से अधिक मार्ग पर स्थित हो, तो उसका मूल्यांकन अधिक मूल्य वाले मार्ग के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार किसी घोषित क्षेत्र का उसके नाम से उक्त सूची में सर्किल रेट निर्धारित न होने पर, भूमि/भवन का मूल्यांकन उसके निकटतम स्थित क्षेत्रों में से अधिकतम सर्किल दर

14  
31  
उप निबन्धक,  
मेरठ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

20/7/18  
कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।

उप निबन्धक

SP-11

वाले क्षेत्र की सर्किल दर के अनुसार किया जायेगा साथ ही यदि कोई भूखण्ड/भवन सर्किल रेट लिस्ट का एक से अधिक दरों में आता हो, तो अधिकतम वाली दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

24. विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद की योजनाओं तथा उनके द्वारा स्वीकृत औद्योगिक एवं आवासीय योजनाओं सहित 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के अकृषक भूखण्ड का मूल्यांकन 1000 वर्ग मीटर तक सम्बन्धित क्षेत्र की प्रचलित अकृषिक दर से तथा 1000 से 2500 तक 75 प्रतिशत, 2500 - 5000 तक 60 प्रतिशत व 5000 वर्ग मीटर से ऊपर 50 प्रतिशत पर मूल्यांकन किया जायेगा। निर्माण होने की दशा में भी उपरोक्तानुसार भूखण्ड पर छूट अनुमन्य होगी।

25(अ). नगरीय तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में भवन की आयु के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, प्राधिकरण, छावनी परिषद आदि द्वारा टैक्स रजिस्टर के उद्धरण/मूल प्रमाणपत्र तथा अवशेष प्रकरणों में रेग्युलेटेड एरिया के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(ब) सेगमेन्ट की फेंसिंग सम्पत्ति का मूल्यांकन सेगमेन्ट की दर से किया जायेगा तथा पीछे स्थित सेगमेन्ट के नाम से पहचानी जाने वाली सम्पत्ति जहां कोई मौहल्ला अंकित नहीं है, का मूल्यांकन सेगमेन्ट की दर के 60 प्रतिशत पर किया जायेगा।

26. अन्तरित हो रही आवासीय परिसम्पत्ति के 50 मीटर की त्रिज्या में यदि वाणिज्य बहुल गतिविधियां/वाणिज्यिक संकुल विद्यमान हैं तो अन्तरित हो रही आवासीय परिसम्पत्ति में निहित भूमि का मूल्यांकन तत्स्थान हेतु निर्धारित आवासीय भूमि की दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए किया जाएगा।

27. तीन मंजिला से अधिक मंजिल वाले मल्टीस्टोरीज गैर वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की तथा "कॉमन फेंसिलिटीज" हेतु न्यूनतम मूल्य में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत -

मल्टीस्टोरीज कॉम्प्लैक्स का प्रचलित नाम	मौहल्ला का नाम जहाँ कॉम्प्लैक्स अवस्थित है	मौहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवंटित वी-कोड	कवर्ड एरिया के निर्माण की बेसिक दर (भूमि व निर्माण का मूल्य जोड़कर एक साथ)	कॉमन फेंसिलिटीज का न्यूनतम मूल्य आंकने के लिये वृद्धि दर का प्रतिशत				
				पार्किंग		कम्युनिटी सेंटर	स्वीमिंग पूल	लिफ्ट
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5	2	2	2	5

उप निबन्धक,  
मेरठ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।

नोट :- बिन्दु ख में वर्णित तीन मंजिला से अधिक मंजिल वाले गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्य आगणन विधि :


01. भवन का मूल्य आगणन उपरोक्त टेबिल के क्रमांक 4 में वर्णित दर से सुपर ऐरिया में गुणित करते हुए किया जायेगा। सुपर ऐरिया कवर्ड ऐरिया से न्यूनतम 15 प्रतिशत अधिक होगा। यदि सुपर ऐरिया कवर्ड ऐरिया से 15 प्रतिशत अधिक नहीं होगा या सुपर ऐरिया नहीं खुला होगा तो सुपर ऐरिया निर्धारित करने के लिए कवर्ड ऐरिया में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि का स्वभाविक समावेश किया जाएगा।
02. टेबिल के क्रमांक 4 में निर्धारित दर में भूमि का मूल्य और निर्माण लागत दोनों शामिल हैं।
03. बिन्दु 01 में वर्णित विधि से भवन का बेसिक मूल्य निर्धारण करने के बाद चौथे तल से सातवें तल तक बेसिक मूल्य में 5 प्रतिशत, आठवें तल से दशम तल तक 10 प्रतिशत व दशम तल से ऊपर अंतिम तल तक 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
04. भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल के लिए कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।
05. लेखपत्र में उपरोक्त टेबिल के कॉलम संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 में वर्णित कॉमन फ़ैसिलिटीज का उल्लेख भी किया जायेगा। ऐसी स्थिति में वर्णित कॉमन फ़ैसिलिटीज के लिए उपरोक्त टेबिल में निर्धारित प्रतिशत के योग से नोट क्रमांक 3 के अनुसार ह्रास (छूट) के बाद प्राप्त भवन के मूल्य में वृद्धि की जायेगी।


**04) वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक सम्पत्ति**


एकल दुकान/वाणिज्यिक अधिष्ठान हेतु मूल्यांकन दर सूची में निर्धारित एकल दुकान में निहित भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर एवं निर्माण की दर 10,000 प्रति वर्ग मीटर जोड़कर मूल्यांकित किया जायेगा।


व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स/मॉल में स्थित दुकानों हेतु मूल्यांकन दर सूची में निर्धारित फर्श ऐरिया (कार्पेट) ऐरिया की दर प्रति वर्ग मीटर के आधार पर मूल्यांकित किया जायेगा।

28. बहुमंजिले वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक भवन में अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा सम्पत्ति क्रय करने पर, बेसमेंट हेतु बेसिक दर का 60 प्रतिशत, भूतल पर 90 प्रतिशत, प्रथम तल पर 70 प्रतिशत व उसके अतिरिक्त प्रत्येक तल पर तलवार-10 प्रतिशत ह्रास अधिकतम 5 मंजिल तक होगा। एक ही व्यक्ति द्वारा, वाणिज्यिक सम्पत्ति के भूतल तथा अन्य कोई तल जिस में भूतल के नीचे के तल भी शामिल हैं, एक ही लेखपत्र द्वारा, क्रय करने पर, भूतल हेतु निर्धारित दर से तथा अन्य तल के लिए भूतल हेतु निर्धारित दर का 50 प्रतिशत, प्रति तल जोड़ते हुए, मूल्यांकन किया जाएगा।

  
उप निबन्धक,  
मेरठ।

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

  
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।

29. कार्यालय होने की स्थिति में निर्धारित वाणिज्यिक दर के 80 प्रतिशत या गोदाम होने की स्थिति में निर्धारित वाणिज्यिक दर के 70 प्रतिशत से मूल्यांकन किया जायेगा। भू-तल पर रोड फेसिंग सम्पत्ति का मूल्यांकन दुकान हेतु निर्धारित दर पर ही किया जायेगा परन्तु यदि विकास प्राधिकरण, मेरठ अथवा आवास विकास परिषद, मेरठ से कार्यालय हेतु ले-आउट अप्रुव्ड है तो मूल्यांकन तदनुसार किया जायेगा।

30. (अ) दर सूची में एकल दुकान/कॉम्प्लैक्स/मॉल में स्थित दुकान हेतु निर्धारित दरें 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिये हैं। 50 वर्ग मीटर से अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर तक का मूल्यांकन प्रचलित दर के 70 प्रतिशत पर किया जायेगा तथा 100 वर्ग मीटर से ऊपर अतिरिक्त का मूल्यांकन 60 प्रतिशत पर किया जायेगा।

(ब) प्रारूप 3 में अंकित सेगमेंट पर स्थित व अन्य जगह स्थित वाणिज्यिक/व्यवसायिक भूखण्ड की दरें 100 वर्ग मीटर तक के लिये हैं। 100 वर्ग मीटर से उपर अतिरिक्त शेष भूमि का मूल्यांकन निर्धारित दर के 70 प्रतिशत पर किया जायेगा। यह प्राविधान बड़े हाल/सिनेमा हाल/विवाह मण्डप/पेट्रोल पंप/कम्यूनिटी सेन्टर/गैस गोदाम एन्व्यूजमेंट पार्क पर भी लागू होगा तथा उनमें पक्के निर्माण से इतर आच्छादित क्षेत्रफल का मूल्यांकन तत्संबंधी एकल दुकान हेतु निर्धारित दर का 40 प्रतिशत से किया जायेगा।

31. वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकानों/प्लैट की केवल छत बिकने पर मूल्यांकन उस क्षेत्र के भूखण्ड हेतु निर्धारित दर का 60 प्रतिशत प्रथम तल हेतु व पाँच मंजिल तक प्रत्येक तल प्रथम तल पर निर्धारित दर में 10 प्रतिशत कमी के साथ मूल्यांकन किया जायेगा। पाँच मंजिल के पश्चात् किसी भी तल का मूल्यांकन पांचवे तल हेतु निर्धारित दर से किया जायेगा।

32. यदि किसी वाणिज्यिक भवन में नीचे का भाग व्यवसायिक है व उपर का भाग आवासीय है तो पृथक-पृथक क्रेता होने की दशा में वाणिज्यिक भवन का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित वाणिज्यिक दर से व आवासीय भवन का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित आवासीय दर पर किया जायेगा। आवासीय भवन के मूल्यांकन में भूखण्ड का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित भूखण्ड की दर में प्रथम तल हेतु 60 प्रतिशत व द्वितीय तल एवं बेसमेन्ट हेतु 40 प्रतिशत तथा तृतीय तल एवं उसके ऊपर के मंजिलों हेतु 35 प्रतिशत की दर से मूल्यांकित किया जायेगा।

33. व्यावसायिक/वाणिज्यिक भूखण्ड का मूल्यांकन, उस क्षेत्र की निर्धारित न्यूनतम अकृषिक भूमि की निर्धारित दर के 50 प्रतिशत अधिक पर किया जाएगा। परन्तु यह प्राविधान, इस दर सूची में अंकित ऐसे मार्ग/रोड/सेगमेंट, जो मौहल्ले नहीं हैं एवं जिनकी दर अलग से निर्धारित है, पर लागू नहीं होगी किन्तु

उप निबन्धक,  
मेरठ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।

28/7/14





उक्त वृद्धि के पश्चात उक्त दर उस मौहल्ले में प्रश्नगत सम्पत्ति के निकटतम स्थित मुख्य सड़क की दर से किसी भी स्थिति में अधिक न होगी ;


34. सैगमेन्ट/मुख्य मार्ग फेसिंग पर स्थित मॉल को छोड़कर सड़क पर स्थित कॉम्प्लैक्स में स्थित दुकानों व एकल दुकानों का मूल्यांकन मुख्य मार्ग की दर से तथा पीछे स्थित दुकानों का मूल्यांकन तत्स्थान पर मुख्य मार्ग हेतु निर्धारित दर का 75 प्रतिशत से किया जाएगा।


05) औद्योगिक भूमि :-


35. दर-सूची में सूचीबद्ध औद्योगिक क्षेत्र/मौहल्ला जिनकी दरें अलग से निर्धारित हैं, को छोड़कर स्थापित औद्योगिक भूखण्डों व अधिसूचित औद्योगिक भूखण्डों के विक्रय पर मूल्यांकन, निर्धारित गैर कृषक दर के 90 प्रतिशत या किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा घोषित मूल्य में से, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाएगा। इसके प्रमाण में विक्रेता को TIN या बिक्री कर या उद्योग विभाग द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र देना होगा।

36. टिन शेड/एस्बेस्टस शेड द्वारा निर्मित आद्योगिक संस्थान में निर्माण का मूल्यांकन रूपये 5,500/- प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जायेगा तथा 18 फीट से अधिक हाईट का मूल्यांकन 7,500/- रू० प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जायेगा।

  
उप निबन्धक,  
मेरठ।  
  
SR-III

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

  
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।

भाग-3

प्रारूप - 5

(क) तीन मंजिला तक गैर वाणिज्यिक भवनों की विभिन्न श्रेणी के निर्माण की दरें :-

क्रम संख्या	निर्माण की श्रेणी छत के आधार पर	निर्माण की अधिवर्षता आयु	प्रथम श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर	द्वितीय श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5
1	आर०सी०सी०	80 वर्ष	11000	9000
2	आर०बी०सी०	60 वर्ष	9000	7000
3	कड़ी, गर्डर पटिया, डाट	50 वर्ष	6500	6000
4	टिनशेड, एस्बेस्टस शेड, फाइबर शेड	40 वर्ष	4500	4000
5	कच्चा, छप्पर, खपरैल	30 वर्ष	2500	2500

प्रथम श्रेणी निर्माण का तात्पर्य यह है कि उसमें दरवाजे, खिड़की में मंहगी लकड़ी तथा शीशम, सागौन, देवदार या कम्पेशड वाटरप्रूफ बोर्ड या मेटल का प्रयोग हुआ हो। फर्श मार्बल, स्टोन वर्टीफाईड टाइल्स के प्रयोग से बनाया गया हो।

द्वितीय श्रेणी के निर्माण का तात्पर्य यह है कि जो प्रथम श्रेणी का निर्माण न हो।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्य निम्नांकित तरीके से निकाला जा सकेगा :-

भवन का कुल मूल्य = भवन में निहित भूमि (मय खुली भूमि के) का मूल्य इस सूची के भाग- 2, 3 या 4 में दी गयी सुसंगत दर के अनुसार + भवन का निर्माण मूल्य

भवन के निर्माण मूल्य = भवन का पुर्नस्थापन मूल्य में से मूल्य ह्रास घटाइये

भवन का पुर्नस्थापन मूल्य = भवन का कुल कवर्ड एरिया X इस सूची में दी गयी निर्माण की सुसंगत दर

मूल्य ह्रास =  $\frac{\text{भवन का पुर्नस्थापन मूल्य} \times \text{भवन की वर्तमान आयु} \times 9}{\text{भवन की अधिवर्षता आयु} \times 10}$

नोट : यदि भवन की वास्तविक वर्तमान आयु इस सूची में दी गयी न्यूनतम अधिवर्षता आयु से अधिक है तो वही आयु अधिवर्षता आयु भी मानी जायेगी। किसी भी दशा में मूल्य ह्रास 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। भवन का स्क्रैप मूल्य 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। यदि भवन की आयु केवल 20 वर्ष या उससे कम है तो ऐसे भवन पर कोई मूल्य ह्रास अनुमन्य नहीं होगा। (ह्रास की गणना 20 वर्ष बाद से प्रारम्भ की जायेगी)

21/4  
S.R.E  
उप निबन्धक,  
मेरठ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),  
मेरठ।

कलेक्टर/जिलाधिकारी,  
मेरठ।

4

28/7/16